State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 332 /SEIAA/22
Date : 10/5/22

प्रति,

मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स,
पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9–ए पैरामांउट विला,
नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषयः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/ 255056/2022 - प्रकरण कमांक 8143/2021 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र रघुवंशी, डी–4, फेस–2, श्रीराम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड़ जिला भोपाल (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 735, ग्राम बोरास–1, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 720वी बैठक दिनांक 05.05.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

SEIAA की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में Close किये गये रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **रेत खदान, रकबा 4. 0 हे., उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 735, ग्राम बोरास–1, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन** (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री राजेन्द्र रघुवंशी, डी–4, फेस–2, श्रीराम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड़ जिला भोपाल (म.प्र.),**, को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. जिला खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर के पत्र क्र. 508 दिनांक 18.02.2022 द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक **पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र रघुवंशी, डी–4, फेस–2, श्रीराम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड़ जिला भोपाल (म.प्र.),** के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9–ए पैरामांउट विला,**

नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स यूफोरिया माईंस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल** (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 7184/एसईआईएए/2021 दिनांक 15.03.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 157 दिनांक 18.04.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. जिला खनिज अधिकारी, रायसेन द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 137 दिनांक 18.04.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

VIII. जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 58 दिनांक 06.04.2022 द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र में उपलब्ध रेत की मात्रा के संबंध में स्थल निरीक्षण का मौका पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में दर्शित अक्षांश देशांश के आधार पर खदान क्षेत्र स्टेट हाईवे रोड़ ब्रिज से 400 मीटर की दूरी पर होना परिलक्षित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये निर्देशानुसार मेजर रोड ब्रिज/हाईवे से 01 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण न किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण स्थगित किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 333 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 10/5/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला रायसेन (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)

Case No. 8143/2021

6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री राजेन्द्र रघुवंशी, डी–4, फेस–2, श्रीराम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड़ जिला भोपाल (म.प्र.) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी